



2026: AHC: 32457-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - **1171/2026**

भूपेंद्र सिंह याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: राजेश कुमार यादव

प्रतिवादी के अधिवक्ता: जी.ए. (अपर शासकीय अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आज न्यायालय में पूरक शपथ पत्र दाखिल किया है, जिसे रिकॉर्ड पर लिया गया है।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
3. प्रारंभ में ही, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने इंगित किया है कि वर्तमान मामले में, विवेचना (जांच) के दौरान, याचिकाकर्ता का नाम हटा दिया गया है।
4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके, किंतु उन्होंने कहा कि वे इस रिट याचिका पर बल देना नहीं चाहते हैं और इसे वापस लेना चाहते हैं।
5. दिए गए बयान के आलोक में, यह रिट याचिका वापस लिए जाने के आधार पर खारिज की जाती है।

13 फरवरी, 2026

नदीम

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"